

2021
319

116

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
आवेना पत्र	241 2021	136 LR Act	महुआ खुर्द			

अनवान

श्री सुगता पति गोपाल नाडरी बनाम श्री राजेंद्र सर
निवासी महुआ खुर्द



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेंस्यो.

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बनेड़ा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम महुआखुर्द की
जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 270
में सुगना पालि गोकुल गाजरी बैबजाम सुगना पालि गोपाल गाडर

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक- 08/11/2021

प्रार्थी

सुगना पालि गोपाल गाडर

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम महुआखुर्द के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के
खाता संख्या 270 में प्रार्थी का नाम सुगना पालि गोकुल दर्ज है। जबकि मुताबिक
संलग्न डाटा शीट व जानकारी के अनुसार खातदार का सही नाम सुगना पालि गोपाल जो
संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. महुआखुर्द

पटवारी महुआखुर्द

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र पर रिपोर्ट पटवारी महुआखुर्द व भू.अ.नि. महुआखुर्द एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के
आधार पर ग्राम महुआखुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 270
में प्रार्थी का नाम सुगना पालि गोकुल के बजाय सुगना पालि गोपाल किये जाने हेतु अभिरंघ की जाती है।

तहसीलदार (भ.अ.)
बनेड़ा जिला पीलवाड़ा

प.स. -

आदेश
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बनेड़ा ग्राम महुआखुर्द जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 दिनांक 08/11/2021

खाता संख्या 270 में दर्ज प्रार्थी का नाम सुगना पालि गोकुल के स्थान पर सुगना पालि गोपाल
संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

DN 116
8-11-21

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गांवों के संग
अक्टूबर 2021